सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सतर्कता अनुभाग

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय

गुडगांव

M-99

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत आवेदन

महाशय,

निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली में पावरग्रिड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में 16-06-2016 को ही आवेदन दिया था। जिसको केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 19-07-2016 को ही आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड को भेजा था। लेकिन 02 (दो वर्ष) से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई भी कार्रवाई होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

यदि आने वाले समय में यही स्थिति रही तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने को बाध्य हो जाऊँगा।

अत: आपसे अनुरोध है, कि इस संबंध में निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(1) उक्त आवेदन पर अब तक मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड ने क्या कार्रवाई की है। स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायें।

(2) पावरग्रिड द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराई गई मुआवजा से संबंधित नीति-नियम (MANUL) के अनुसार संबंधित ग्राम-पंचायत के जनप्रतिनिधि से ही मुआवजा प्रप्त का सत्यापन का प्रावधान है, तो फिर अलग-अलग ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी मुआवजा प्रप्त का सत्यापन करवाने के बाद पावरग्रिड पूर्णियाँ द्वारा क्यों मुआवजा का भुगतान किया गया है। क्या इस संबंध में पावरग्रिड के अधिकारी / कर्मचारी से पूछताछ हुई है

(3) इस संबंध में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि / किसानों से पूछताछ हुई है। स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायें।

ER-I
cc (Vig.)

Sh. KNB
18/03/19

18/3/19

→ MNG
Ph Kr

(4) लोकेशन सं० - 385/02, 385/03, 386/0, 386/1 आदि पर फसल के रूप में हल्दी, अदरख, टमाटर दिखाकर भुगतान किया गया है। जबकि उस क्षेत्र में यह फसल नहीं होती है। क्या उस संबंध में पावरग्रिड के कर्मचारी / किसानों / जनप्रतिनिधियों से पूछताछ की गई है। कृपया स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायें।

(5) जांच समाप्त हो गई हो तो आवेदन से संबंधित फाइल / रिपोर्ट की छाया प्रति उपलब्ध करायें।

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा I.P.O - 10 रु० का संलग्न कर भेज रहा हूँ। जिसकी सं०- 41F 691804 है।

पत्राचार का पता
कंचन कुमार
ग्राम - अशोकनगर
पो०- मौलरुगी
थाना - मुरलीगंज
जिला - पूर्णियाँ
पिन नं०. 852122
(बिहार)

विश्वासभाजन
कंचन कुमार
08-03-2019